



प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति
  - (i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र - उत्तराखण्ड
  - (ii) जिला - अमृतसर
  - (iii) जिला वन प्रभाग सिविली वॉल्यूम एम प्रभाग अमृतसर
  - (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र - यमोतिया जी.ओ.डी. से यमोतिया जी.ओ.डी. तक
17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति: - सिविल भूमि - 8975.50
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्योरा: - ~~कोई अधिकतम बंधा नहीं माना~~
- (i) वन का प्रकार ~~देखें~~ ~~कोई नहीं~~
- (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व 0.4
- (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना - संख्या
  - (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा - कोई नहीं
19. भूस्वर्ण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी-~~भू-उपयोग की परिणामना~~
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी: 1.00
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता: - ~~कोई नहीं~~
- (i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्योरा: ~~भू-उपयोग की परिणामना~~
- (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव आरक्षण गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्योरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वाईडन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) - ~~नहीं~~
- (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्योरे और मुख्य वन्य जीव वाईडन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)
- (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उद्योग आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयुक्त की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्योरे और मुख्य वन्य जीव वाईडन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)
- (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसके खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्योरे ~~कोई नहीं~~

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरतत्वीय या विरसत स्थल या प्रतिस्नातक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए संक्षम प्राधिकारी से अनपत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उपाबद्ध ब्योरा दे) ~~नहीं~~

23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

(i) क्या भाग-1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोज्यता अनिर्णय द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। ~~अपरिहार्य है~~ ~~अपरिहार्य नहीं~~

